न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :605/2018

1. जासमीन कौर पुत्री सुखदेव सिंह नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता संदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री गुरजंट सिंह जाति मजहबी निवासी 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद न्योलारामपुरा तहसील सूरतगढ़।
2. सहजदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता संदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री गुरजंट सिंह जाति मजहबी निवासी 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद न्योलारामपुरा तहसील सूरतगढ़।
3. लखवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता संदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री गुरजंट सिंह जाति मजहबी निवासी 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद न्योलारामपुरा तहसील सूरतगढ़।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र चंद सिंह जाति मजहबी निवासी 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री अशोक जोशी, अधिवक्ता -:प्रार्थीगण की ओर सेः-
2. अप्रार्थी संख्या 1 सुखदेव सिंह -:एकपक्षीय कार्यवाहीः-
3. राजपैरोकार -:अप्रार्थी संख्या 2 की ओर सेः-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 24/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 11 एस की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 97/93 के मु0न0 11 के किला न0 8 ता 10 सालम, किला न0 11/2 की 0.127 है0 कुल 0.886 है0 बारानी भूमि तथा इसी चक के मु0 न0 17 के किला न0 13, 14 सालम कुल 0.506 है0 नहरी भूमि समस्त कुल भूमि 1.392 है0 नहरी बारानी भूमि में से प्रार्थीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह के नाम 0.696 है0 नहरी बारानी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व मे प्रार्थीगण के परदादा गन्धारा सिंह पुत्र फुमण सिंह के नाम दर्ज थी जो कलांतर में प्रार्थीगण के पिता सुखदेव सिंह पुत्र चन्द सिंह को अपने दादा गन्धारा सिंह पुत्र फुमण सिंह से प्राप्त हुई है। यह भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। प्रार्थीगण का पिता अप्रार्थी संख्या 1 सुखदेव सिंह शराबी व नशेडी प्रवृति का व्यक्ति है। नशे की पूर्ति मे घर का समान बेचान कर चुका है। प्रार्थीगण की माता संदीप कौर को पीहर से नशे के लिए रूपये लाने के लिए मारपीट करता है। मांगपूर्ति नही करने पर लगभग 10 दिन पूर्व माता सहित प्रार्थीगण से मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। प्रार्थीगण के गुजारा का एक मात्र साधन कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा नशे की पूर्ति के लिए उक्त भूमि का बेचान किया जा सकता है, जबकि सुखदेव सिंह को उक्त भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नही है। उक्त भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 केवल 1/4 हिस्सा अर्थात 0.174 है0 नहरी बारानी भूमि का ही हकदार है, शेष 3/4 हिस्सा अर्थात 0.522 है0 नहरी बारानी भूमि के हकदार प्रार्थीगण है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम भूमि दर्ज होने का अयुक्तीयुक्त लाभ उठाकर उक्त भूमि को बेचान करने मे सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण के वैध उत्तराधिकारों के अधिकारों का हनन होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक मे पाया जाता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सुखदेव सिंह पुत्र चन्द सिंह के नाम दर्ज चक 11 एस की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 97/93 के मु0न0 11 के किला न0 8 ता 10 सालम, किला न0 11/2 की 0.127 है0 कुल 0.886 है0 बारानी भूमि तथा इसी चक के मु0 न0 17 के किला न0 13, 14 सालम कुल 0.506 है0 नहरी भूमि समस्त कुल भूमि 1.392 है0 नहरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

जासमीन कौर आदि बनाम सुखदेव सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 605/2018

बारानी भूमि में से प्रार्थीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह के नाम 0.696 है0 नहरी बारानी भूमि को वाद पत्र के निर्णय तक किसी भी प्रकार से रहन, बैय या अन्तरित करने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के तलवी बाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। जवाब स्टेट पेश नही होने पर जवाब स्टेट बंद किया गया।

बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 11 एस की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 97/93 के मु0न0 11 के किला न0 8 ता 10 सालम, किला न0 11/2 की 0.127 है0 कुल 0.886 है0 बारानी भूमि तथा इसी चक के मु0 न0 17 के किला न0 13, 14 सालम कुल 0.506 है0 नहरी भूमि समस्त कुल भूमि 1.392 है0 नहरी बारानी भूमि में से प्रार्थीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह के नाम 0.696 है0 नहरी बारानी भूमि के संबंध मे पत्रावली मे दिनांक 11.10.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 25/6/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner